



फर्द अहकाम

कैलाश बनाम गंगा वगै०

208/2024

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
18.07.2024	<p>वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वावत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वावत अस्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया, रिपोर्ट सरिस्ता तलव हो चुकी है। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का शपथ पत्र एवं विवादित आराजीयात के राजस्व रिकार्ड की छायाप्रतियाँ पेश की है। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर बहस वकील प्रार्थी व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण को रजिस्टर नोटिस जारी किया जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर 14/8/24 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>	
14/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23/8/24 को पेश हों।</p>	
23/8/24	<p>पत्रावली पेश हुई। पी०ओ० साहब अन्य राज्य कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 29/9/24 को पेश हों।</p>	
20/9/24	<p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी व प्राथमिक के अधिवक्ता अनुपस्थित। वात वादकत प्रार्थी व प्राथमिक के अधिवक्ता को वात-वादत आवाज बगवाई गई। लेकिन उनकी ओर से कोई आक्षेप नहीं है। प्रार्थी का वाक्य अतः दाखिल अतः प्रार्थी के उपरि नोटिस जारी किया जाएगा। पत्रावली फलान् रूप से 5-11 नम्बर के फर्द होकर वाव वकील फर्दित दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">  उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर) </p>	